जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उ0प्र0

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, U.P

पत्रांकः जे0एन0सी0यू0 / सम्बन्धन / 50 / 2019 दिनांकः 30 मई, 2019

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 30.05.2019 के अनुपालन में **श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कमतैला, रसड़ा, बलिया (पूर्व संचालित) को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं जन्तु विज्ञान विषयों में पूर्व स्वीकृत सीटों के सापेक्ष बी0एस–सी पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2019–20 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती हैः–**

1. **संस्था / महाविद्यालय का विगत तीन वर्षो का परीक्षाफल 60 प्रतिशत होने, नकल विहीन परीक्षा कराये जाने, प्रबन्ध समिति विधिवत अद्यतन अनुमोदित होने का प्रमाण तथा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों एवं सन्दर्भगत पाठ्यक्रम हेतु पृथक–पृथक शिक्षण / प्रयोगशाला कक्षों एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति शपथ पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के साथ संदभर्गत पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन की प्रक्रिया दिनांक 30 जून 2019 तक पूर्ण करते हुएं शिक्षकों का डाटा वि0वि0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।**
2. **उक्त कमियों / शर्तो की पूर्ति के उपरान्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता के औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेगें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।**
3. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
8. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16 (20) / 2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
11. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –